

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH,
NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 1346 of 2024

Lal Bachan Rai

Appellant

Versus

Environment, Forest and Climate Change
Department Govt of U.P. through its
Principal Secretary and Ors.

Respondents

I N D E X

S.No.	Particulars	Pages
1.	Reply on behalf of the respondent No.6 Lucknow Development Authority	
2.	Annexure 1 A copy of the Building and Development Byelaws of 2008, as amended in 2011 and 2016	

Filed by



[MUKESH VERMA]
Advocate for the LDA
Ch. No. 50, Old Block
Supreme Court of India,
New Delhi 110 001
(M) 9810108098

E-mail: mvermadv@gmail.com

New Delhi

Dated: 01.12.2025

1

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI.**

Original Application No.1346/2024

Lal Bachan Rai

...Applicant

Versus

Environment, Forest and Climate Change Department
Govt. of Uttar Pradesh through its Principal Secretary & Ors.

....Respondents

**REPLY ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 6 LUCKNOW
DEVELOPMENT AUTHORITY**

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

1. That above original application No. 1346/2024 under section 14 and 15 of National Green Tribunal Act, 2010 seeking the issuance of directions for enforcement of conditions of Environment Clearance (EC) dated 22.11.2012 and 12.09.2018 issued by respondent No.3 State Environment Impact Assessment Authority Uttar Pradesh (SEIAA UP) in favor of respondent no.7 M/s Viraj Construction pvt. Ltd. (VCPL) imposition of EC on Project Proponent, prosecution of the violators providing sewage treatment plant, water harvesting system, solar system for street light and 15% open green area and award of adequate compensation to the victims of environment pollution. The answering respondent Lucknow Development Authority has been impleaded as respondent no.6 in the aforesaid original application.
2. That vide order dated 06.12.2024 this Hon'ble Tribunal had issued notice in the aforesaid matter to the respondent No.4 UPPCB U.P. Pollution Control Board and respondent no.7



Project Proponent M/s Viraj Construction Pvt. Ltd. requiring them to submit their response with respect to averments made in the application.

3. That the answering respondent has gone through the synopsis, list of dates and the original application filed by the petitioner and the contents thereof are denied at the very outset save and except what is specifically admitted herein below. The answering respondent is filing the present reply to the original application, limited to the averments made qua answering respondent Lucknow development Authority and seeks liberty of this Hon'ble Tribunal to file a detailed / further affidavit if required at a later stage as and when so directed by this Hon'ble Tribunal.
4. That the contents of para 1 to 4 of the Original Application need no reply.
5. That the contents of para 5.1 and 5.2 of the original application need no reply on behalf of answering respondent.
6. That the contents of para 5.3 of the original application are not admitted in the manner it has been stated, in reply thereto it is stated that the averments made by the applicant are false. The approved layout Plan 4279, dated 26.09.17, for the Integrated Township at Village Semra, Shahpur, Sarayshekh, has been mentioned that (Net Plot Area Excluding, Nala, Masterplan Green Along Nala, Pounds, Samadhi & Area under Road widening) no provision for an LPG warehouse

has been made due to security reasons. Generally, the supply for PNG connections is made from a remote warehouse.

7. That the contents of para 5.4 to 5.8 of the original application need no reply on behalf of answering respondent.
8. That the contents of para 5.9 of the original application are not admitted in the manner it has been stated, in reply thereto it is stated that on receipt of the revised lay out plan proposal as per the provisions of the Building Construction and Development Bye-laws-2008 (as amended in 2011 and 2016), the layout plan can be approved with such amendments as per the provisions of the Building Bye-laws.
9. That in reply to the contents of para 5.10 of the original application it is submitted that the lay out plan has been approved by the authority. At the time of approval of the township's layout No. 42719, dated 26.09.17, the provision has been made for park/open area of 15.039 percent of the total area. Chapter Sub clause 2.2.1 of the Building By-Laws 2008, as amended in 2011 and 2016, states the following:
 1. The residential Land Use Under the residential layout plan, which is part of the Zonal Development Plan, a minimum of 10 percent of the total area of the layout will be reserved for open spaces, which will be developed as Tat-Lat parks and playgrounds. In case the Zonal Development Plan is not in effect, a minimum of 15 percent of the total area of the layout

2022

plan will be reserved for parks and open spaces. If land has been reserved for parks and open spaces as per the norms in the layout plan of any scheme, then it will not be necessary to make separate provision for parks and open spaces in relation to the 'Group Housing' plot in that scheme.

10. That the contents of para 5.11 to 5.13 of the original application need no reply on behalf of answering respondent.
11. That in reply to the contents of para 5.14 of the original application it is stated that at the time of approval of the layout No. 42719 dated 26.09.17 of township, provision has been made for 15.039 percent park/open area based on the total area. The following is mentioned in Chapter Sub clause 2.2.1 of the Building By-Laws 2008 as amended in 2011 and 2016:
 1. The residential Land Use Under the residential layout plan, which is part of the Zonal Development Plan, a minimum of 10 percent of the total area of the layout will be reserved for open spaces, which will be developed as Tat-Lat parks and playgrounds. In case the Zonal Development Plan is not in effect, a minimum of 15 percent of the total area of the layout plan will be reserved for parks and open spaces. If land has been reserved for parks and open spaces as per the norms in the layout plan of any scheme, then it will not be necessary to make separate provision for parks and

2021

open spaces in relation to the 'Group Housing' plot in that scheme.

12. That the contents of para 5.15 of the original application need no reply on behalf of answering respondent.
13. That the contents of para 5.16 of the original application are not admitted in the manner it has been stated, in reply thereto it is stated that the proceeding of remission have been done under the Building Construction and Development Bye-laws 2008, as amended in 2011 and 2016, which were in effect at the time. The provisions of Clause 2.2.1 (i) of the Bye-laws are clear.
14. That the contents of para 5.17 and 5.18 of the original application need no reply on behalf of answering respondent.
15. That the contents of para 5.19 of the original application need no reply on behalf of answering respondent.
16. That in reply to the contents of para 5.20 of the original application it is stated that conditional completion certificate has been issued by Letter No.-1502/EE/HTIG/2021 dated 30.09.2021.
17. That the contents of para 5.21 to 5.23 of the original application need no reply on behalf of answering respondent.
18. That in reply to the contents of para 5.24 of the original application it is stated that in the Building and Development Bylaws of 2008, as amended in 2011 and 2016, swimming

swimming

pools falls within the definition as exempt from ground coverage. Hence, permission for swimming pool was given in accordance with the provisions of the Building Bylaws. Rest of averments are not relating to answering respondent.

19. That the contents of para 5.25 and 5.26 of the original application need no reply on behalf of answering respondent.
20. That in reply to the contents of para 5.27 of the original application it is stated that the authority has issued show-cause notice under sections 27 (i) and 28 (i) of the Uttar Pradesh Town Planning and Development Bye-Laws, 1973, for starting the construction of the STP without obtaining proper approval. The construction is stopped till present time.
21. That the contents of para 5.28 of the original application need no reply on behalf of answering respondent.
22. That in reply to the contents of para 5.29 of the original application it is stated that The completion certificate has been issued after obtaining no objection from the Department of Electricity at the time of issuance of completion certificate.
23. That the contents of para 5.30 to 5.32 of the original application need no reply on behalf of answering respondent.
24. That in reply to the contents of para 5.33 of the Original Application it is stated that the STP was constructed before completion dated 26.11.2018 and 30.12.2021, and only on that basis completion certificate was issued. It is also

Orissa

pertinent that the entire township has not yet been completed.

For this reason, provisions of separate STPs has been made.

25. That the contents of para 5.34 to 5.36 of the original application need no reply on behalf of answering respondent.
26. That in reply to the contents of para 5.37 of the original application it is stated that it is mentioned in Building and Development By-Laws of 2008, as amended in 2011 and 2016, that after 15 percent of the total layout is allocated for parks, there is no obligation to provide separate green/park spaces. The authority has duly heard the matter and passed relevant orders.
27. That the contents of para 5.38 of the original application need no reply on behalf of answering respondent.
28. That in reply to the contents of para 5.39 of the original application it is submitted that no negligence on the part of the answering respondent/ authority has been caused. Action has been taken in accordance with the provisions of the Building and Development Bylaws of 2008, as amended in 2011 and 2016, and according to the remission bylaws in effect at the time. Following the complaint of RWA to the authority, a proper hearing was conducted and relevant orders have been passed. The township development work is also reviewed at various levels. Hence, the averments of applicant

am

that the authority did not conduct any hearing on the matter is not acceptable. Annexure -1

29. That in reply to the grounds Para -6 A to S of the original application, the submissions made in aforesaid paragraphs are reiterated and reaffirmed.
30. That the contents of para 7 (7.1) of the original application need no reply.
31. That the last paragraph is prayer clause, the same are denied. In view of submissions made in above para, the allegations raised by the applicant in OA are baseless hence, they are denied and the present original application deserves to be dismissed.
32. It is further humbly submitted that apart from above the answering respondent is duty bound to follow all directions issued by this Hon'ble Tribunal in the matter in its letter and spirit.
33. That the facts stated in the above reply are based on the information derived from official record as such they true and correct as per personal knowledge and belief of the deponent. No part of same is false and nothing material has been concealed therefrom.

mm

Respondent

No.6

Through Counsel

(MUKESH VERMA)
ADVOCATE FOR RESPONDENT NO.6
Ch. No.50, Old Block
Supreme Court of India
New Delhi-110001
(M) 9810108098
E-mail: mvermadv@gmail.com

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI.


Original Application No.1346/2024

Lal Bachan Rai

...Applicant

Versus

Environment, Forest and Climate Change Department
Govt. of Uttar Pradesh through its Principal Secretary & Ors.
....Respondents



AFFIDAVIT

I, Arvind Kumar Srivastav aged about 58 years, Assistant Engineer in Lucknow Development Authority Lucknow presently at do hereby solemnly affirm and state as under:-

1. That the deponent is posted in above capacity as such he is fully conversant with the facts of the case as such is competent to swear in this affidavit.

That I have read the accompanying reply to the Original Application No.1346/2024 Lal Bachan Rai Vs. Environment, Forest and Climate Change Department Govt. of Uttar Pradesh through its Principal Secretary & Ors. filed by applicant and understood the contents thereof the same are true and correct as per my personal knowledge and belief.

3. That the Annexures accompanying are true and correct copies of their respective originals.

Arvind
Deponent

VERIFICATION:

I, the above named deponent do hereby verify that the contents of above affidavit are true and correct as per knowledge and belief, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

Verified at Lucknow this the 29 day of November, 2025.

Arvind
Deponent

Sworn and Verified
Before me

AMBRISH KUMAR
ADVOCATE & NOTARY
Vill. Devi Ganj, Anaiya
Adampur, Janubi, Lucknow

29/11/25


I know and identify the deponent who
has signed/put T.L. before me

संशोधित नहीं है।

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित 2011 / 2016 / 2018 एवं 2023)

एवं

शमन उपविधि-2009 यथा संशोधित 2010



लखनऊ विकास प्राधिकरण

०३३

2.2 खुले स्थान

2.2 (क) जोनल डेवलपमेंट प्लान

पर्यावरण एवं परिस्थितिकीय सतुलन के उद्देश्य से जोनल डेवलपमेंट प्लान के अन्तर्गत जोन के कुल क्षेत्रफल की न्यूनतम 5 प्रतिशत भूमि पार्क एवं खुले स्थल/हरित क्षेत्र के रूप में आरक्षित की जाएगी।

2.2.1 (ख) ले-आउट प्लान

(i) **आवासीय** आवासीय ले-आउट प्लान, जो जोनल डेवलपमेंट प्लान का भाग हो, के मू-उपयोग अन्तर्गत खुले स्थानों हेतु ले-आउट के कुल क्षेत्रफल की न्यूनतम 10 प्रतिशत भूमि आरक्षित की जायेगी, जिसे टाट-लाट पार्क तथा खेल के मैदान के रूप में विकसित किया जाएगा। जोनल डेवलपमेंट प्लान प्रभावी न होने की दशा में पार्क एवं खुले स्थानों हेतु ले-आउट प्लान के कुल क्षेत्रफल की न्यूनतम 15 प्रतिशत भूमि आरक्षित की जायेगी। यदि किसी योजना के ले-आउट प्लान में मानक के अनुसार पार्क एवं खुले स्थल हेतु भूमि आरक्षित की गई हो, तो उस योजना में ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड के सापेक्ष पुनः पृथक से पार्क एवं खुले स्थल का प्राविधान किया जाना आवश्यक नहीं होगा।

(ii) **अनावासीय** अनावासीय क्षेत्र के ले-आउट प्लान, जो जोनल डेवलपमेंट प्लान का भाग हो, के अन्तर्गत पार्क एवं हरित पट्टिकाएँ और पारिस्थितिकी का सन्तुलन बनाए रखने के लिये खुले स्थान का क्षेत्रफल ले-आउट के कुल क्षेत्रफल का 5 प्रतिशत होगा, जिसे पार्क, ग्रीनरी/ग्रीन बैंट, इत्यादि के रूप में विकसित किया जायेगा। जोनल डेवलपमेंट प्लान प्रभावी न होने की दशा में खुले स्थानों हेतु ले-आउट के कुल क्षेत्रफल की न्यूनतम 10% भूमि आरक्षित की जायेगी।

टिप्पणी : उपर्युक्त प्रस्तर-2.2.1 के (i) तथा (ii) के अन्तर्गत अपेक्षित खुले स्थान महायोजना में प्रस्तावित खुले स्थान के अतिरिक्त होंगे अर्थात् महायोजना में प्रस्तावित खुले स्थान को सम्मिलित करते हुए तलपट मानचित्र प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में भी उपर्युक्त प्रस्तर-2.2.1 के (i) एवं (ii) की अपेक्षानुसार खुले स्थान का अलग से प्राविधान किया जाना अनिवार्य होगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेतु अपेक्षित भूमि की गणना इसी प्रतिशत में सम्मिलित की जा सकती है। परन्तु 3000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल से कम भूखण्डों का उप-विभाजन प्रस्तावित होने की दशा में खुले स्थान का प्राविधान अनिवार्य नहीं होगा।

2.2.2 खुले स्थान के मानक

- (i) खुले स्थान की न्यूनतम औसत चौड़ाई 7.5 मीटर होगी तथा खुले स्थान का न्यूनतम क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर होगा।
- (ii) खुले स्थान की सीमा यथास्थिति भूखण्ड की सीमा/बिल्डिंग लाइन तक मान्य होगी। परन्तु भूखण्ड की सीमा से 3.0 मीटर तक के स्थान को इस प्रतिबन्ध के अधीन पाथ-वे के रूप में रखा जायेगा, कि ऐसे पाथ-वे का क्षेत्रफल प्ररनगत खुले स्थान के कुल क्षेत्रफल से 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। ऐसे पाथ-वेज अनिवार्यतः परफोरेटेड ब्लॉक्स/सामग्री से निर्मित किये जायेंगे।



अध्याय-1

- 1.1 संक्षिप्त नाम एवं प्रसार 1.1.1 ये उपविधि लखनऊ विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि - 2008 (यथा संशोधित 2011/2016/2018 एवं 2023) कहलाएगी।
- 1.1.2 ये उपविधि सम्पूर्ण लखनऊ विकास प्राधिकरण क्षेत्र में लागू होगी।
- 1.2 परिभाषाएँ 1.2.1 "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 से है।
- 1.2.2 "विकास" का तात्पर्य इसके व्याकरणिक रूप भेदों सहित भूमि में, उस पर, उसके ऊपर या उसके नीचे निर्माण, इंजीनियरिंग, खनन या अन्य क्रियाएँ अथवा किसी भवन या भूमि में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन करना से अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत पुनर्विकास भी शामिल है।
- 1.2.3 "परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन" का तात्पर्य संरचनात्मक परिवर्तन द्वारा मानव निवास के लिए मूल रूप से निर्मित किए गए भवन का परिवर्तन, ऐसे स्थान पर एक भवन के रूप में मूलतः निर्मित भवन का मानव निवास हेतु एक से अधिक स्थानों में परिवर्तन तथा मानव निवास के लिए दो अथवा अधिक स्थानों का ऐसे अधिक स्थानों में परिवर्तन है। इसके अन्तर्गत किसी भवन का ऐसा परिवर्तन, जो उसकी नाली अथवा सफाई व्यवस्था को प्रभावित करता हो, अथवा उसकी सुरक्षा को तात्त्विक रूप से प्रभावित करता है, किसी भवन के किसी कक्ष, निर्माण, गृह अथवा अन्य संरचनाओं का परिवर्द्धन तथा किसी सड़क से संलग्न दीवार अथवा दीवार के स्वामी से असम्बद्ध भूमि में, ऐसी सड़क अथवा भूमि में, दरवाजा खोलना आदि सम्मिलित है।
- 1.2.4 "अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति" का तात्पर्य ऐसे 'प्रोफेशनल' से है जो उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा-57 खण्ड (डी) के अधीन प्रभावी लखनऊ विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2008 के अधीन पंजीकृत हो अथवा किसी अधिनियम के अधीन गठित किसी निकाय जिसके अधीन उक्त प्रोफेशन अधिशासित है, के अधीन पंजीकृत हो। 'प्रोफेशनल' के पंजीकरण हेतु अपेक्षाएँ अनुलग्नक-1 के अनुसार होंगी। ऐसे सिविल इंजीनियर्स, जो इन्स्टीटयूशन आफ इंजीनियर्स के साथ पंजीकृत हैं, को नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 में निर्धारित कार्य क्षमता एवं क्षमता के अधीन प्राइवेट प्रैक्टिस करने का अधिकार होगा तथा उन्हें पंजीकरण से छूट होगी।
- 1.2.5 "बेसमेन्ट" का तात्पर्य भू-तल के नीचे या अंशतः भू-तल के नीचे के निर्माण से है।
- 1.2.6 "स्टिक्ट प्लोर" का तात्पर्य प्लिन्थ से खम्भों (पिलर्स) पर बनी हुई संरचना जो न्यूनतम दो तरफ से खुली हो. फर्श से बीम तक अधिकतम ऊँचाई 2.10 मीटर हो एवं पार्किंग के प्रयोजनार्थ अभिप्रेत हो, से है।
- 1.2.7 "आच्छादित क्षेत्रफल" का तात्पर्य कुर्सी तल के ऊपर आच्छादित तल क्षेत्र से है जिसके ऊपर भवन निर्माण हो। निम्नलिखित संरचनाएँ आच्छादित क्षेत्रफल के अन्तर्गत शामिल नहीं होंगी :-
- (क) बाग, रॉकरी, कुआँ एवं कुएं से सम्बन्धित कोई संरचना, प्लान्ट, नर्सरी, वाटरपूल, अनाच्छादित स्वीमिंग पूल, पेड़ के चारों ओर प्लेटफार्म, टैंक, फाउन्टेन, बेंच, खुला चयूतरा।
- (ख) ड्रेनेज कल्यर्ट, कैच-पिट, गलीपिट, चैम्बर, गटर, आदि।
- (ग) चहारदीवारी, प्रवेश द्वार, मंजिल रहित पोर्च एवं पोर्टिको, कैनोपी, स्टाइड, झूला, अनाच्छादित सीढ़ी, अनाच्छादित रैम्प, आदि।



[Handwritten Signature]

उपायुक्त कार्यालय
लखनऊ विभाग प्राधिकरण,
लखनऊ

पत्रांक 2063/उपायुक्त/RWA Cell/2024-2025

दिनांक 7.10.24

आदेश

श्री कृपा शंकर लाल व अन्य द्वारा सनब्रीज-1 अपार्टमेंट वी0वी0डी0 ग्रीन सिटी लखनऊ में विल्डर विराज कन्स्ट्रक्शन्स प्रा0 लि0 द्वारा अवैध निर्माण एवं उपयोग के सम्बन्ध में शिकायत की गयी। विल्डर विराज कन्स्ट्रक्शन्स प्रा0 लि0 द्वारा किये गये अवैध निर्माण के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही न होने के फलस्वरूप श्री कृपा शंकर लाल व अन्य द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-13298/सी/2020 शिप्रा सृष्टि अपार्टमेंट बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.01.2021 का अनुपालन न किये जाने के कारण मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ में अवमानना याचिका सी0आर0एल0 मिस0 नं0-1779(सी)/2024 कृपा शंकर लाल एवं अन्य बनाम प्रथमेश कुमार, उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण योजित की गयी।

अवमानना याचिका में संलग्न याची के प्रार्थना पत्र दिनांक 05.10.2023 के अनुक्रम में याची एवं विकासकर्ता मेसर्स विराज कन्स्ट्रक्शन्स प्रा0 लि0 के मध्य सुनवाई की तिथि 28.08.2024 को नियत की गयी। सुनवाई हेतु नियत तिथि पर विकासकर्ता मेसर्स विराज कन्स्ट्रक्शन्स प्रा0 लि0 की ओर से उनके प्रतिनिधि एवं अधिवक्ता उपस्थित रहे, किन्तु सुनवाई की तिथि में याची अथवा याची की ओर से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुये। सुनवाई के समय विकासकर्ता मेसर्स विराज कन्स्ट्रक्शन्स प्रा0 लि0 के प्रतिनिधियों द्वारा दिये गये तर्कों को सुना गया एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन एवं परिशीलन किया गया। याची के उपस्थित न होने के कारण दिनांक 06.09.2024 को पुनः सुनवाई की तिथि नियत की गयी। याची श्री कृपा शंकर लाल द्वारा अपने प्रतिनिधि के रूप में श्री आलोक टिक्कू को अधिकृत किया गया, जो सुनवाई के समय उपस्थित थे तथा सह याची श्री शारदा प्रसाद स्वयं उपस्थित हुये।

श्री कृपा शंकर लाल द्वारा अथवा उनके प्रतिनिधि द्वारा सुनवाई के समय कोई लिखित साक्ष्य/पक्ष नहीं रखा गया। उनके प्रतिनिधि द्वारा मौखिक रूप से अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया। सह याची श्री शारदा प्रसाद द्वारा सुनवाई के समय अपना प्रत्यवेदन प्रस्तुत किया गया, जो निम्नवत है:-

यह कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा एफएआर परचेज करने के बाद मैप परमिट संख्या 42693 दिनांक 25.05.2015/17.01.2018 स्वीकृत किया

गया। विल्डर द्वारा इस नक्शे के विपरीत अनेक अनाधिकृत निर्माण किये गये। उदाहरण के लिये विल्डर ने स्वीकृत नक्शे में दिये गये ग्रीन एरिया 3951.58 रकबाय मीटर के क्षेत्र में कथित ग्लब, जिम, पूल, पम्प हाउस एवं वेसमेन्ट में जाने हेतु रैम्प का निर्माण कर लिया। स्वीकृत नक्शे के विपरीत मैकेनिकल कार पार्किंग का निर्माण विल्डर द्वारा नहीं किया गया तथा लखनऊ विल्डिंग बायलाज के नियम 3.10.5 का उल्लंघन करते हुये वेसमेन्ट की छत के उपर मिट्टी डालकर फैंसी छोटे छोटे पेड़ लगाये गये हैं जबकि विल्डर को प्रोजेक्ट में स्वीकृत मैप के अनुसार 216 पेड़ लगाने थे जिनकी जड़ ग्रीन एरिया में भूमि की मिट्टी की सतह से जुड़ी होनी चाहिये। 52 फ्लैट अतिरिक्त बना लिये जिससे विल्डिंग का लोड बढ़ा। विल्डर ने स्वीकृत नक्शे के विपरीत क्या-क्या अवैध निर्माण किये हैं, के विवरण सहित एक टेबुलेटेड चार्ट इस पत्र के साथ एनेक्सर-1 के रूप में संलग्न है।

यह कि विल्डर द्वारा स्वीकृत नक्शे के विपरीत जो भी अवैध निर्माण किया गया था, ये सभी लखनऊ विल्डिंग बायलाज का उल्लंघन करते हुये किया गया था जिसे प्राधिकरण द्वारा गिरा दिया जाना चाहिये था, परन्तु तीन साल के निर्माण कार्यकाल में प्राधिकरण द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। विल्डर द्वारा स्वयं प्राधिकरण को अपने पत्र दिनांक 18.07.2018 द्वारा सूचित किया गया कि उनके द्वारा कुछ अवैध निर्माण कर लिया गया है अतः इस अवैध निर्माण की कम्पाउन्डिंग कर दी जाये एवं विल्डर द्वारा प्रस्तुत नक्शा जो कि रियाइज नक्शा था एवं जिसमें फ्लैट की संख्या को 724 से 776 कर दिया गया था, कार पार्किंग 1394 से घटाकर 903 कर दिया गया था, ग्रीन एरिया को 3958 मीटर से घटाकर 2660 मीटर कर दिया गया था, को कम्पाउन्डिंग के नाम पर नियमों का उल्लंघन करते हुये दिनांक 11.10.2018 को कम्पाउन्ड मैप परमिट संख्या-42977 द्वारा कम्पाउन्ड कर दिया गया। इस सम्बन्ध में यह निवेदन है कि प्राधिकरण को अवैध निर्माण की कम्पाउन्डिंग करने का अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं है। प्राधिकरण केवल अवैध निर्माण के अपराध की कम्पाउन्डिंग कर सकता है लेकिन किये गये अवैध निर्माण की कम्पाउन्डिंग करने का अधिकार प्राधिकरण को प्राप्त नहीं है। प्राधिकरण केवल उन्ही अवैध निर्माण की कम्पाउन्डिंग कर सकता है जो लखनऊ विल्डिंग बायलाज का उल्लंघन नहीं करते हैं। इस सम्बन्ध में उ०प्र० शासन द्वारा जारी पत्र दिनांक 28.03.2024 गुलम सन्दर्भ हेतु इस प्रार्थना पत्र के साथ एनेक्सर-2 के रूप में संलग्न है।

यह कि प्राधिकरण द्वारा बिना यह सुनिश्चित किये कि प्रोजेक्ट में स्वीकृत नक्शे के अनुसार कार्य पूरा हो गया है अथवा नहीं, बिल्डर के पक्ष में प्रोवीजनल कम्प्लीशन सर्टीफिकेट दिनांक 26.11.2018 जो टावर संख्या 9 से 12 के लिये था एवं कम्प्लीशन सर्टीफिकेट दिनांक 30.12.2021 जो टावर संख्या 1 से 8 के लिये था, जारी कर दिया गया। इस प्रोजेक्ट में कुल 12 टावर है। कम्प्लीशन सर्टीफिकेट पूरे सनग्रीज प्रोजेक्ट का जारी होना चाहिये था, टावर बाइज जारी होना ही नियम विरुद्ध है। इसके बावजूद भी टावर संख्या 9 से 12 के लिये जारी प्रोवीजनल कम्प्लीशन सर्टीफिकेट का कम्प्लीशन आज तक बिल्डर ने नहीं लिया है। यदि 30.12.2021 के कम्प्लीशन सर्टीफिकेट का उदाहरण लिया जाये तो इस तिथि पर भी प्रोजेक्ट के निम्नलिखित कार्य पूरे नहीं थे परन्तु प्राधिकरण द्वारा सीसी जारी कर दिया।

(a) दिनांक 30.12.2021 को इस प्रोजेक्ट में कोई बिजली कनेक्शन स्वीकृत नहीं था। बिल्डर निर्माण हेतु लिये गये टैम्परेरी कनेक्शन से फ्लैट निवासियों को अवैध रूप से बिजली सप्लाई कर रहा था। बिल्डर द्वारा फ्लैट ओनर्स से लगभग चार करोड़ रुपये वसूले गये, है लेकिन बिजली का इन्फ्रास्ट्रक्चर आज तक पूरा नहीं किया गया है। सीसी जारी करते समय प्राधिकरण द्वारा बिजली विभाग से कोई एनओसी नहीं ली गयी। इस सम्बन्ध में बिजली विभाग के एक्सईएन एवं एमडी के पत्र दिनांक 31.08.2022, 31.10.2022 एवं 28.06.2024 सुलम संदर्भ हेतु एनेक्सर संख्या-3, 4 एवं 5 के रूप में संलग्न है।

(b) दिनांक 30.12.2021 को प्रोजेक्ट में मैनडेटरी प्रोवीजन जैसे एसटीपी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, 15% ग्रीन एरिया, कार पार्किंग आदि उपलब्ध नहीं थे। प्राधिकरण ने बिल्डर को लिखे अपने आब्जेक्शन पत्र दिनांक 20.11.2019 द्वारा यह अवगत कराया कि एसटीपी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं कार पार्किंग की स्थिति क्लीयर की जाये परन्तु आब्जेक्शन दूर हुये बिना एवं इन मैनडेटरी प्रोवीजन के पूरा हुये प्राधिकरण द्वारा सीसी जारी कर दिया। इस प्रोजेक्ट में आज तक एसटीपी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, 15% ग्रीन एरिया, मैकेनिकल/कवर्ड कार पार्किंग आदि उपलब्ध नहीं है। बिल्डर द्वारा बेसमेन्ट में 250 केएलडी का एसटीपी बनाया गया था जिसको एलडीए द्वारा अवैध पाये जाने पर दिनांक 13.05.2024 को कारण बताओ नोटिस देकर वाद दाखिल किया गया है।

(c) दिनांक 30.12.2021 को बिल्डर द्वारा प्राधिकरण को धोखा देते हुये इनवायरमेन्ट की क्लीयरेंस का पत्र लगाया जबकि कम्प्लीशन टू आपरेट

का सर्टीफिकेट दिया जाना चाहिये था एवं प्राधिकरण को भी यह चेक करना चाहिये था। इसी प्रकार सीसी जारी करते समय प्राधिकरण को भी इनवायरमेन्ट विभाग द्वारा एनओसी के विशेष नियम संख्या (9) का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिये जिसके अनुसार 15% ग्रीन एरिया प्रोजेक्ट में होना चाहिये। बिल्डर द्वारा पुराने बत्तीयरेन्स एनओसी को लगाकर मित्तीभगत से सीसी लिया है जो कि नियम विरुद्ध है।

(d) दिनांक 30.12.2021 को सीसी जारी करते समय मैकेनिकल कार पार्किंग उपलब्ध नहीं थी एवं वेसमेन्ट कार पार्किंग चालू हालत में नहीं थी। लखनऊ विकास प्राधिकरण की 152वीं बैठक दिनांक 11.06.2014 की मद संख्या-15 के अनुसार मैकेनिकल कार पार्किंग बनाना अनिवार्य था एवं इसके लिये बिल्डर द्वारा दिनांक 17.10.2017 को रुपये 2,48,00,000/- की गारन्टी मनी भी जमा की गयी। बोर्ड की बैठक में यह भी निर्णय दिया गया था कि यदि बिल्डर निरचित समय सीमा में मैकेनिकल कार पार्किंग नहीं बनाते हैं तो उनको सीसी न जारी किया जाये। लेकिन ईस केस में प्राधिकरण द्वारा अपने ही बोर्ड के आदेशों का उल्लंघन करते हुये बिल्डर के पक्ष में सीसी जारी कर दी गयी। बोर्ड के मद संख्या-15 एवं बिल्डर द्वारा जमा की गयी गारन्टी मनी के लेटर की प्रति इस पत्र के साथ एनेक्सर 6 एवं 7 के रूप में संलग्न है। दिनांक 30.12.2021 को वेसमेन्ट कार पार्किंग चालू नहीं थी। बिल्डर ने स्वयं दिनांक 03.01.2023 को अपनी नोटिस द्वारा रेजीडेन्ट्स को सूचित किया है कि दिनांक 03.01.2023 से वेसमेन्ट कार पार्किंग आपरेशनल की जा रही है। उल्लिखित नोटिस की छाया प्रति एनेक्सर संख्या-8 के रूप में संलग्न है।

उक्त तथ्यों के प्रकाश में अधोहस्ताक्षरी आपसे निवेदन करता है कि मूल प्रार्थना पत्र दिनांक 05.10.2023 के तथ्यों एवं साक्ष्यों के साथ इस प्रार्थना पत्र के तथ्यों एवं साक्ष्यों के प्रकाश में कम्पाउन्डिंग मैप संख्या-42977 दिनांक 11.10.2018 एवं सीसी दिनांक 26.11.2018 तथा दिनांक 30.12.2021 को तत्काल प्रभाव से कैंसिल एवं रद्द करते हुये स्वीकृत मैप संख्या-42693 दिनांक 25.05.2015 के अनुसार सनव्रीज प्रोजेक्ट में अघूरे कार्यों को एक निरचित समय में पूरा करने का आदेश बिल्डर को दिया जाये। सभी कार्य पूरा हो जाने के बाद पूरे प्रोजेक्ट को नये सिरे से नयी तिथि से सीसी जारी किया जाये जो उसी तिथि से प्रभावी होगी।

सुनवाई दिनांक 28.08.2024 में विराज कन्स्ट्रक्शन प्रा0 लि0 के प्रतिनिधि द्वारा सुनवाई के समय अपना पक्ष रखा गया तथा लिखित रूप से अपना प्रतिउत्तर दिनांक 27.08.2024 प्रस्तुत किया गया। पुनः सुनवाई दिनांक 06.09.2024 को विराज कन्स्ट्रक्शन प्रा0 लि0 के प्रतिनिधि अपना कोई लिखित उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। उनके द्वारा पूर्व प्रेषित प्रतिउत्तर में दिये गये तथ्यों के आधार पर ही अपना पक्ष रखा गया, जो निम्नवत है:-

1. बेसमेंट में कार्यशील एसटीपी जिस स्थल पर स्थित है उस स्थल पर किसी भी पार्किंग का प्राविधान नहीं किया गया है एवं स्थल सुविधाओं के लिए ही प्रयोग किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार उसकी स्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं है।
2. बेसमेंट में एक अन्य एसटीपी का निर्माण अपार्टमेंट में रहने वाले आवांठियों की सुविधा हेतु विकल्प के रूप में बनाया जा रहा था किन्तु यहां के निवासियों को कुछ लोगों ने गुमराह कर लखनऊ विकास प्राधिकरण में शिकायत करवाया जिसके क्रम में लखनऊ विकास प्राधिकरण के पत्र सं- 834/AEP/ जोन-1 दिनांक 23/03/2023 के द्वारा निर्माण कार्य रोक दिया गया जो कि अब तक यथास्थिति है। यहां यह भी अनुरोध है कि एसटीपी एक मशीन मात्र है उक्त से किसी आच्छादित क्षेत्रफल पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। जब आच्छादित क्षेत्रफल पर कोई फर्क नहीं है तो हमारे द्वारा कोई अनियमिता नहीं की गयी है।
3. इलेक्ट्रिक रूम/इलेक्ट्रिक पैनल बेसमेंट में स्थित हैं जो कि निर्माण की श्रेणी में नहीं आते हैं को व्यवस्थित कर दिया गया है (फोटोग्राफ संलग्न)। जिसके निर्माण हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार स्वीकृति/अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं है।
4. चर्पा के दौरान बेसमेंट में छिट-पुट स्थानों पर पानी आया था जिसकी व्यवस्था कर दी गयी है तथा नालियां, सम्य एवं आटोमैटिक पम्प स्थापित एवं कार्यशील हैं। उक्त विन्दु साफ-सफाई से है तथा उक्त कार्य आर0डब्ल्यू0ए0 के निर्देशानुसार कराया जा रहा है।
5. बेसमेंट में टीटी रूम एफएआर के अन्तर्गत यहां के शिकायतकर्ता निवासियों हेतु बनाया गया है तथा आपको यह भी अवगत करना है कि

उक्त प्लव का पार्ट है तथा स्वीकृत है एवं टीटी रूम का विक्रय नहीं किया गया है। उक्त स्थलों का प्रयोग अपनी स्वेच्छा से आर०डब्ल्यू०ए० एवं निवासियों द्वारा किया जा रहा है। उक्त का विकासकर्ता से कोई लेना देना नहीं है।

6. शिकायत यह कि भूतल पर सेटवैक में एक टॉयलेट निर्मित है जो कि वहां के निवासियों/अध्यसियों व शिकायतकर्ताओं के अनुरोध पर कि प्लास 4, टॉयलेट इत्यादि में समस्या होती है के बाद में बनाया गया है।

7. सीवर मेनहोल व स्टोरेज वाटर खुले क्षेत्र में सुचारु रूप से संचालित हैं एवं इसका मैटीनेन्स आर०डब्ल्यू०ए० के निर्देशानुसार किया जा रहा है।

8. शिकायत यह कि झूलों के सामने की सड़क कम है के क्रम में आपकी अवगत करना है कि सेटवैक भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार प्राविधानित है। सिर्फ अपार्टमेंट के सौन्दर्य को बढ़ाने के लिये छोटी ग्यारियां बना दी गयी हैं बाकी कहीं पर भी सड़क कम नहीं है।

9. शिकायत यह कि स्थल पर पार्किंग कम है, महोदय मानचित्र में जो पार्किंग दर्शाया गया है वह भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार प्राविधानित किया गया है तथा स्थल पर भी 903 पार्किंग उपलब्ध है।

10. जहां तक प्लव में किचन की शिकायत कि गयी है उसमें कम्पनी द्वारा कोई कार्यालय संचालित नहीं किया गया है बल्कि वहां के निवासियों/अध्यसियों व शिकायतकर्ता व RWA द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। उक्त अध्यासन का विकासकर्ता से कोई सम्बन्ध नहीं है।

यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि RWA मा० उच्च न्यायालय के समक्ष योजित याचिका में पक्षकार नहीं है, फिर भी इस प्रकरण का हित RWA से संबंधित होने के लिए इनके प्रत्यावेदन पर विचार करना आवश्यक है। सुनवाई दिनांक 06.09.2024 के पश्चात दिनांक 07.09.2024 को सनश्रीज-1 अपार्टमेंट वी०वी०डी० ग्रीन सिटी लखनऊ में गठित RWA के सचिव श्री अमित कुमार अग्रवाल द्वारा प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में पत्र प्रेषित किया गया, जो निम्नवत है :-

वी०वी०डी० ग्रीन सिटी के अन्तर्गत सनश्रीज-1 अपार्टमेंट के कुछ निवासियों द्वारा पूर्व में अवैधानिक तरीके से एक आर०डब्ल्यू०ए० का गठन कर लिया गया था, जिसे डिप्टी रजिस्ट्रार महोदय फार्म सोसाइटीज एवं विदस, लखनऊ मण्डल, लखनऊ द्वारा दिनांक 28.11.2023 को निरस्त कर दिया

गया तदुपरांत वहां के अध्यासियों द्वारा एक अन्य आर०डब्ल्यू०ए० का गठन दिनांक 13.12.2023 को किया जा चुका है जो कि वर्तमान में सक्रिय है।

उपरोक्त अपार्टमेंट के कुछ अध्यासियों द्वारा अनावश्यक रूप से विभिन्न विभागों में विकासकर्ता में विराज कान्स्ट्रक्शन्स प्रा० लि० तथा कार्यशील आर०डब्ल्यू०ए० के विरुद्ध प्रार्थना पत्र देकर अनावश्यक शिकायतें दी जा रही हैं।

तखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा किए गए स्थल निरीक्षण के सम्बन्ध में कुछ तथ्य निम्नवत् हैं-

1. कॉलोनी में स्थित बलब का उपयोग वहां के आपंटियों द्वारा किया जा रहा है तथा इसका आवंटन एवं परिचालन आर०डब्ल्यू०ए० द्वारा जाता है।
2. उक्त समूह आवास परिसर में निर्मित टॉयलेट हमारी सहमति से एवं हमारे आग्रह पर निर्मित है तथा इसका प्रयोग भी कॉलोनी के चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों द्वारा किया जा रहा है।
3. बलय में स्थित आर०डब्ल्यू०ए० का कार्यालय जिसके किचन में होने की शिकायत की जा रही है आम सहमति से आर०डब्ल्यू०ए० द्वारा चलाया जा रहा है।

अतः महोदय आपसे निवेदन है कि यहां के कुछ अध्यासियों जो कि निरस्त आर०डब्ल्यू०ए० में हितबद्ध पक्ष हैं, के व्यक्तिगत प्रार्थना पत्र पर ध्यान न दें। अध्यासियों की समस्याओं के निराकरण हेतु यहां पर आर०डब्ल्यू०ए० का संचालन किया जा रहा है और यदि अध्यासियों को कोई असुविधा अथवा समस्या होगी तो उसके समाधान हेतु हमारी आर०डब्ल्यू०ए० सदैव तत्पर हैं।

सुनवाई दिनांक 06.09.2024 को शिकायतकर्ता श्री कृपा शंकर लाल के प्रतिनिधि श्री आलोक टिक्कू, श्री शारदा प्रसाद एवं विकासकर्ता की ओर से श्री अनुज श्रीवास्तव, श्री ब्रजेन्द्र पाल सिंह, सचिन गर्ग अधिवक्ता एवं श्री देवेश प्रताप सिंह उपस्थित हुये। सभी पक्षों को विस्तार से सुना गया एवं सुनवाई के दौरान उपलब्ध कराये गये अभिलेखों एवं प्रपत्रों का अवलोकन एवं परिशीलन किया गया।




पत्रावली पर उपलब्ध अपर सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.11.2022 को भी अचलोगन किया गया। याचिकाकर्ता द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक 05.10.2023 में जिन शिवाग्रयती पत्रों दिनांक 11.04.2022, 09.05.2022, 10.05.2022, 19.05.2022, 14.06.2022, 30.08.2022, 07.09.2022, 12.09.2022 का उल्लेख करते हुये मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ में अवगानना याचिका सी०आर०एल० मिस० नं०-1779(सी)/2024 प्रस्तुत की गयी है, उपरोक्त सभी तिथियों के पत्रों का निराकरण सक्षम अधिकारी/अपर सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अपने आदेश दिनांक 24.11.2022 के माध्यम से किया गया है, जिसका प्रभावी अंश निम्नवत है:-

“आदेशित किया जाता है कि विकासकर्ता अपार्टमेंट का हस्तान्तरण गठित RWA को हस्तांतरित करे तथा आवंटियों/RWA द्वारा जो कमियां एवं आपत्तियां उठायी गयी हैं, उन सभी का निरतारण तत्काल सुनिश्चित करे। प्रश्नगत प्रकरण से सम्बन्धित मा० न्यायालय के समक्ष विराज कन्स्ट्रक्शन प्रा० लि० के विरुद्ध वाद योजित किये गये हैं। प्रश्नगत आदेश मा० न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम आदेश के अधीन होगा एवं न्यायालय का निर्णय अग्रिभावी होगा तथा मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में अग्रतर कार्यवाही की जायेगी।”

सनव्रीज-1 अपार्टमेंट वी०वी०डी० ग्रीन सिटी लखनऊ का निरीक्षण जॉनल अधिकारी द्वारा किया गया, जिसके अनुसार सनव्रीज अपार्टमेंट का मानचित्र परिमट संख्या-42693 दिनांक 25.05.2015 को कुल 12 टावरों के साथ 724 यूनिट स्वीकृत था, जिसमें कुल 1394 पार्किंग स्वीकृत है। उक्त स्वीकृत वेंसमेंट पार्किंग में मैकेनिकल पार्किंग स्वीकृत है, किन्तु वेंसमेंट में किसी भी प्रकार का मैकेनिकल पार्किंग से सम्बन्धित कोई भी व्यवस्था नहीं की गयी है। तत्पश्चात् सनव्रीज अपार्टमेंट के निर्माण को शमनित कराया गया, जिसका शमन मानचित्र परिमट संख्या-42977 दिनांक 11.10.2018 को कुल 12 टावरों के साथ 776 यूनिट स्वीकृत कराया गया, जिसमें कुल 903 पार्किंग स्वीकृत हैं, जो कि पूर्व स्वीकृत कार पार्किंग से कम हैं। वेंसमेंट में 02 एस०टी०पी० का निर्माण पूर्व में किया गया है, जिसमें एक एस०टी०पी० संवाहित है एवं दूसरा अर्धनिर्मित है एवं कार्य बन्द है। उक्त निर्माण के विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 तथा संशोधित-1997 की धारा-27(1) एवं 28 (1) के अन्तर्गत ऑनलाइन वाद संख्या-LDA/AN/2024/0001588 विहित प्राधिकारी कार्यालय में योजित किया गया है। वेंसमेंट में पैगल रूग का भी निर्माण पूर्व में किया गया है।

श्री कृपा शंकर लाल व अन्य द्वारा सनग्रीज-1 अपार्टमेंट बी0बी0डी0 ग्रीन सिटी लखनऊ में बिल्डर विराज कन्स्ट्रक्शन्स प्रा0 लि0 द्वारा अवैध निर्माण एवं उपयोग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत एवं स्थल निरीक्षण आख्या के दृष्टिगत सनग्रीज-1 अपार्टमेंट बी0बी0डी0 ग्रीन सिटी लखनऊ में व्याप्त कमियों एवं बिल्डर द्वारा स्थल पर किये गये अवैध निर्माण के सम्बन्ध में आदेशित किया जाता है कि विराज कन्स्ट्रक्शन्स प्रा0 लि0 तत्काल अपार्टमेंट में गठित RWA से समन्वय स्थापित करते हुये व्याप्त कमियों के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराये तथा शमन मानचित्र के विरुद्ध किये गये अवैध निर्माण को चिन्हित करते हुये हटायें अन्यथा प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत शमन मानचित्र के विरुद्ध किये गये निर्माण को नियमानुसार ध्वस्त कर दिया जाये।

आदेश की प्रति सम्बन्धितों को प्रेषित की जाये।

(प्रथमेश कुमार)

उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण

परिषद पत्र सं: 208/2025



नाम : अरविंद कुमार श्रीवास्तव
 पिता : स्व. श्री गणेश प्रसाद श्रीवास्तव
 पदनाम : सहायक अधियन्त
 मो०न० : 9411222838, 9568006433



कारक के प्रत्यक्ष



केन्द्रीयत

कर्मचारी कोड:	4123
जन्म तिथि:	10/07/1968
सेवा निवृत्ति तिथि:	31/07/2028
वर्तमान पता 3/181 विकस्य खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ	स्थायी पता ग्राम-पो- बाना खास, हरिया बस्ती

लखनऊ विकास प्राधिकरण
 प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
 टेली फोन- 1800 1800 6000 वेबसाइट: <http://www.lkhvdc.co.in>